प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक मत्स्य/
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– 1165 /नि0शा0/2019–20 दिनांक– 17 जुलाई, 2019

विषयः– विभाग की समस्त योजनाओं के प्रार्थना–पत्र विभागीय पोर्टल से प्राप्त कर चयन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त सन्दर्भ में आप सभी अवगत है कि विभागीय पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in प्रारम्भ हो चुका है। अतः विभाग में समस्त योजनाओं में लाभार्थियों के चयन हेतु पोर्टल से डाउनलोड प्रार्थना/आवेदन पत्रों को सक्षम समिति/सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर चयन कराया जाये, जिसके लिए निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते है–

1– लाभार्थी चयन हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए निदेशालय द्वारा लक्ष्य निर्धारण कर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर सूचित किया जाएगा तद्पोरान्त जनपदों द्वारा सम्बन्धित योजना के प्रार्थना/आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु समाचार–पत्रों में, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिये अपने जनपद के लक्ष्य के अनुसार योजना के लिए, विज्ञापन कराया जायेगा जिसमें पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in का उल्लेख कर अधिसूचित किया जायेगा कि इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित योजना हेतु पोर्टल पर अभिलेखों सहित अपना आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम तिथि के उपरान्त पोर्टल पर पंजीकरण बंद कर दिया जायेगा। विज्ञापन में योजना में वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थी की पात्रता, प्राप्त किये जाने वाले अभिलेखों का उल्लेख, अनुदान सीमा व अंतिम तिथि को पंजीकरण बन्द होने आदि का उल्लेख अवश्य किया जाये। विज्ञापन प्रकाशन की एक प्रति निदेशालय प्रेषित की जायेगी ताकि उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करायी जा सके। मण्डलीय अधिकारी अपने मण्डल के जनपदों के लिये विज्ञापन करा सकेंगे। विज्ञापन की प्रति खण्ड विकास अधिकारियों व तहसीलों को उनके कार्यालय सूचना पट पर प्रदर्शित करने के लिए प्रेषित की जायेंगी।

2– निर्धारित तिथि की समाप्ति के उपरान्त पोर्टल के बन्द होते ही अपने जनपद/मण्डल के आवेदन पत्र डाउनलोड कर ले तथा योजनावार प्रथम आवत प्रथम पावत क्रम में आवेदन पत्रों को क्रमांकित किया जायेगा एवं संवीक्षा की जायेगी और यदि कोई लाभार्थी/आवेदन कर्ता निर्धारित अभिलेख औपचारिकतायें पूर्ण नहीं करता है तो उसके आवेदन के निरस्त होने का कारण/आपत्ति अंकित किया जायेगा। तदोपरान्त उसके नीचे के आवेदनकर्ताओं पर क्रमिक विचार कर अन्तिम सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों को संवीक्षा उपरान्त सक्षम अधिकारी/डी0एल0सी0सी0/समिति जिसे निदेशालय/शासन के निर्देशों से अनुमोदन का अधिकार है उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं समिति के संज्ञान में अवश्य लाया जायेगा कि चयनित आवेदक के ऊपर का आवेदन पत्र किस

कारण से निरस्त हुआ है। कारण प्रस्तुत कर निरस्त करते हुए सम्बन्धित आवेदक को सूचित किया जायेगा।

इस प्रकार प्रथम आवत प्रथम पावत प्रकिया से पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर बड़ी योजनाओं यथा मत्स्य हैचरी, आर0ए0एस0, फीड मिल (लघु/वृहद) सोलर सपोर्ट सिस्टम, केज, कियोस्क आदि की डी0पी0आर0 की साफ्ट एवं हार्ड प्रति डाउनलोड कर निदेशालय प्रेषित की जायेगी। शेष तालाब निर्माण/रियरिंग इकाई या अन्य छोटी योजनाओं के अभिलेख मण्डल/जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित रखा जायेगा।

3– प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धान्त से तैयार पात्र अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार प्राप्त बजट सीमान्तर्गत धनराशि लाभार्थी अंश से कार्य कराने के उपरान्त डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

4– उक्त सूची में किसी लाभार्थी द्वारा यदि कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती थी या वह कार्य करने का इच्छुक न हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थी से उप निदेशक मत्स्य कारण ज्ञात करके उसके ब्यान अभिलिखित करने एवं उसे यदि कोई कार्य में शंका हो तो समाधान करेंगे यदि वह फिर भी कार्य कराने हेतु तैयार नहीं होता तो उस दशा में उससे शपथ–पत्र लेकर सूची में उससे नीचे अंकित व्यक्ति को नियमानुसार योजना का लाभ प्रदान करेंगे जिसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को दी जायेगी।

निदेशालय स्तर से मण्डलों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार मण्डल अपने जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायेंगे और जनपद प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त पर धनराशि लाभार्थियों को उपलब्ध करायेंगे। लाभार्थियों को धनराशि भुगतान के सम्बन्ध में निदेशालय पत्र संख्या 1105/नि0शा0/दिनांक 26.06.2019 के द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है, उसके अनुरूप भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। लाभार्थियों के बैंक खाते में परियोजना अंश की हस्तान्तरित धनराशि पर अनावश्यक रोक लगाना भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के विरूद्ध है। अतः इस प्रथा को कड़ाई से रोका जाय। अनियमित तरीके के प्रकरण/शिकायतें प्राप्त होने पर जांच करायी जायेगी और शिकायत सही पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /नि0शा0/2019–20 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, मत्स्य, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

By Email

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक मत्स्य/
समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 1105/नि0शा0/ दिनांक : 26/6/2019

विषयः वर्ष 2019–20 में विभिन्न विभागीय योजनाओं की धनराशि लाभार्थियों को भुगतान करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उक्त संदर्भ में आप अवगत हैं कि वर्ष 2019–20 के लिये धनराशियां शासन एवं निदेशालय स्तर से निर्गत होना प्रारम्भ हो चुकी हैं, जिनका लाभार्थियों को नियमानुसार कार्य पूर्ण होने पर उनके बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाना है।

1. नीली क्रान्ति योजनान्तर्गत, समस्त धनराशियां लाभार्थियों के बैंक खाते में विभागीय पोर्टल के माध्यम से डी0बी0टी0 के माध्यम से अनिवार्य रूप से भुगतान की जायेगी तथा पोर्टल में प्रदर्शित अभिलेखों के अपलोड होने के उपरान्त ही भुगतान के आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी है उप निदेशक मत्स्य जहां संस्तुतिकर्ता अधिकारी है वहां वह अपलोड किये गये अभिलेखों की पुष्टि कर संस्तुति करेंगे।
2. निदेशालय पत्र सं0–02/नि0शा0/दिनांक 02.01.2019 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के क्रम में मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी द्वारा परियोजना के प्रस्तावानुसार लाभार्थी अंश से पहले कार्य प्रारंभ करायेंगे। लाभार्थी अंश की धनराशि के उपयोग की पुष्टि स्थलीय सत्यापन, जियो टैग फोटोग्राफ से की जायेगी तथा छोटे विडियोग्राफ भी तैयार किये जा सकते हैं। उक्त कार्य की एम0वी0 उपरान्त लाभार्थी को वित्तीय सहायता, लघु योजनाओं जिसकी प्रोजेक्ट कास्ट रू0 25.00 लाख से कम है, को दो किश्तों में 60:40 के अनुपात में भुगतान की जायेगी। वृहद योजनाओं जिनकी लागत रू0 25.00 लाख से अधिक है उनके सापेक्ष वित्तीय सहायता 40:40:20 अनुपात में तीन किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक किश्त को देने के पूर्ण सिविल कार्य की एम0वी0 कराना अनिवार्य है। सामान्य जाति के लाभार्थियों का लाभार्थी अंश 60 प्रतिशत तथा महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का लाभार्थी अंश 40 प्रतिशत है। अतः उनके अंश से कार्य की पुष्टि के उपरान्त ही पहले भुगतान किया जाये। अर्थात पहली किश्त लाभार्थी अंश से कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान की जायेगी। इसकी जानकारी लाभार्थियों को उपलब्ध कराना जनपदीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
3. नये तालाब निर्माण की परियोजना इकाई लागत रू0 7.00 लाख है जिसमें तालाब निर्माण के साथ स्लूस निर्माण, जल प्रबन्धन, एरियेशन तथा मत्स्य आहार, शेड निर्माण सम्मिलित है अतः नये तालाबों के निर्माण में उक्त घटकों का भी निर्माण कराना आवाश्यक है जिसके लिये क्रमशः वर्गवार 40 प्रतिशत व 60 प्रतिशत अनुदान देय है। अतः जनपदीय अधिकारी उक्त घटकों के निर्माण कराने हेतु उत्तरदायी होंगे जो प्रत्येक दशा में निर्मित कराये जायेंगे तथा मण्डलीय उप निदेशक उक्त घटकों की पुष्टि उपरान्त ही भुगतान की संस्तुति करेंगे उक्त घटकों के निर्माण के बिना यदि पूर्ण अनुदान का भुगतान होता है तो भुगतान कराने व करने वाले अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
4. मोटर साइकिल विद आइस बाक्स की सुविधा उन्हीं लाभार्थियों को देय होगी जिनका मोटर साइकिल क्रय प्रपत्र धनराशि निदेशालय से निर्गत होने के उपरान्त का होगा तथा मछली विक्रय करने का प्रमाण के लिये नगर पालिका/टाउन एरिया या स्थानीय निकाय द्वारा तह बाजारी मूल्य भुगतान की

रसीद/लाइसेन्स उनके पास उपलब्ध हो। योजना की द्वितीय किश्त मोटर साइकिल के पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर भुगतान की जायेगी। प्रथम किश्त के लिये मोटर साइकिल का क्रय पत्र, तह बाजारी शुल्क/लाइसेन्स की फोटोप्रति व आइस बाक्स क्रय की रसीद अपलोड की जायेगी तथा द्वितीय किश्त में पंजीयन प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ अपलोड किया जायेगा।

5. आर0के0वी0वाई0 योजना के समस्त भुगतान आर0के0वी0वाई0 के पोर्टल से इस वर्ष पूर्व की तरह किये जायेंगें।
6. भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स के प्रस्तर 8:3 में स्पष्ट प्रावधान है कि Incase, the project proponent terminates the lease agreement intermadately (earlier that the agreed lease period) and sells the land as well as facilities created with financial assistance under the schemes under any anavoidable circumstances what so ever, they shall have to return the entire financial assistance availed till that time, with applicable intrest in one instalment. अतः लीज की भूमि पर जो प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे उनसे संबंधित लाभार्थियों को भुगतान के पूर्व उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये उनसे नोटरी हलफनामा प्राप्त कर अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा यदि प्रकरण संज्ञान में आये तो संबंधित जनपदीय अधिकारी इस प्रकार की वसूली हेतु उत्तरदायी होंगे।
7. गाइडलाइन्स के प्रस्तर 15.5 में व्यवस्था की गई है कि " The beneficiaries/applicant shall strictly utilise the central funds as per the terms and conditions (T&C) of the sanctions for the purpose for which it is released and no diversion of central funds of any other purpose shall be allowed. In case, the project proponent does not utilise the central funds for the purpose, they shall return the same with 12 % per annum or bank intrest accurred whichever is higher." अतः लाभार्थी को प्रदत्त धनराशि से मानक के अनुसार कार्य कराने व करने हेतु जनपदीय अधिकारी व लाभार्थी दोनों उत्तरदायी हैं। अन्यथा की दशा में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
8. आर0ए0एस0 निर्माण जो किसी योजना से निर्मित हो उनमें बायोलाजिकल फिल्टर का निर्माण अति आवश्यक है अनुदान धनराशि निर्गत करने से पूर्व इसका सत्यापन अवश्य किया जाये। डी0पी0आर0 के अनुसार समस्त घटकों के निर्माण उपरान्त चरणबद्ध तरीके से अनुदान धनराशि का भुगतान किया जाये। निवेश की धनराशि पर अनुदान मानक के अनुसार मत्स्य बीज संचय व मत्स्य आहार क्रय का सत्यापन कर लिया जाये।
9. अधिकांश जनपदों में लाभार्थी अंश से अधिकाधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अतः उनकी पुष्टि/सत्यापन कर इस माह लाभार्थी अंश के सापेक्ष कार्य की किश्त का भुगतान अवश्य कर दिया जाये।

भवदीय,

25/6/2019

(एस0के0सिंह),
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।